मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

(सुरक्षित शनिवार)

निजी विद्यालयों

के

फोकल शिक्षकों

का

एक दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल

निजी/प्राइवेट विद्यालयों के फोकल शिक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

<table>
<tr><th colspan="3">प्रशिक्षण कार्यक्रम</th></tr>
<tr><td>सत्र 1.1</td><td>विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम–एक परिचय</td><td>समय –60 मिनट
10:00–11:00</td></tr>
<tr><td>सत्र का उद्देश्य</td><td colspan="2">• बिहार में आपदा की स्थिति और बच्चों पर पड़ने वाला इसका प्रभाव– पृष्ठभूमि ।
• विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का औचित्य।
• मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य।
• विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के घटक–
  ✚ विद्यालयों के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण
  ✚ विद्यालयों के गैर–संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण
  ✚ समावेशी आपदा जोखिम न्युनीकरण
  ✚ विद्यालयों में "सुरक्षित शनिवार" का क्रियान्वयन
• खुला सत्र – अनुभवों का आदान–प्रदान एवं प्रशिक्षण से अपेक्षाएं।</td></tr>
<tr><td>सत्र से अपेक्षित परिणाम</td><td colspan="2">• प्रतिभागी समझेंगे कि क्यों इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सम्पूर्णता में आखिर है क्या ?
• प्रतिभागी बच्चों के शिक्षा का अधिकार तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीति एवं प्रबंधन के बारे में जान सकेंगे।
• प्रतिभागी मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ–साथ विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
• प्रतिभागी अपने विद्यालय की सुरक्षा अभ्यासों व् प्रयासों के बारे में अपने विचार रख सकेंगे।
• प्रतिभागी अपने विद्यालयों के बच्चों के द्वारा सामना किये जा रहे जोखिमों को बता सकेंग।
• प्रतिभागी विद्यालय सुरक्षा के तहत् किये जा रहे प्रयासों को अपने सन्दर्भ से जोड़कर देख सकेंगे।</td></tr>
<tr><td>सत्र 1.2</td><td>आपदा सम्बन्धी मुद्दे एव आपदा प्रबंधन – प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से जोखिम एवं खतरे तथा दूर करने के उपाय के बारे में जानकारी</td><td>समय –60 मिनट
11:00–12:00</td></tr>
<tr><td>सत्र का उद्देश्य</td><td colspan="2">• प्रतिभागियों में आपदाओं के दुष्प्रभावों की समझ विकसित करना।
• विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं को समझना।
• प्रतिभागियों में समझ विकसित करना की कैसे मानव जनित जोखिमों व् खतरों से विद्यालयों में बड़ी आपदा का रूप ले सकती इसे समझना।
• घर से विद्यालय एवं सुरक्षित घर वापसी के लिए बच्चों को उनके स्थान एवं सन्दर्भ के आधर पर खतरे का मूल्यांकन करना।</td></tr>
<tr><td>सत्र से अपेक्षित परिणाम</td><td colspan="2">• प्रतिभागी विद्यालय और उसके आस–पास स्थित संभावित जोखिमों/खतरों की पहचान कर पायेंगे।
• प्रतिभागियों से विद्यालय प्रांगण में स्थित संभावित जोखिमों/खतरों की सूची बनाकर उसके न्यूनीकरण करने की क्षमता विकसित होगी.</td></tr>
<tr><td>सत्र 1.3</td><td>विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी</td><td>समय – 30 मिनट
12:00–12:30</td></tr>
<tr><td>सत्र का उद्देश्य</td><td colspan="2">• सुरक्षित शनिवार की अवधारणा से परिचित कराना
• सुरक्षित शनिवार से संबंधित विकसित वार्षिक सारणी की समझ विकसित करना
• सुरक्षित शनिवार में वर्णित गतिविधियों को समझना एवं उसके अनुप्रयोग की कुशलता विकसित करना।</td></tr>
</table>

	• इस सत्र में पोस्टर चार्ट लगाने, नोट्स लिखने के बजाय ज्यादा जोर अभ्यास और **'करके सीखने'** पर है. इसलिए वार्षिक सारणी में प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी आपदा के बारे में जानकारी एवं अभ्यास/ड्रिल किया जाना अतएव इसे निरंतर करने की आवश्यकता है।	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	• प्रतिभागियों को अभ्यास व् एक्शन के जरिए वास्तविक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्दृष्टि मिलती है। इसी तरह बच्चों के जीवन में देखे जाने वाले कुछ अदृश्य जोखिम/खतरे/परिस्थितियां के प्रति प्रतिभागी संवेदनशील होंगे और उसे कम करने की कोशिश करेंगे। • प्रतिभागियों में विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार के दिन इसके अनुप्रयोग की कुशलता विकसित होगी।	
सत्र 1.4	**समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकों में दिए गए पाठों को यथासंभव आपदा/जोखिम एवं संभावित खतरों से जोड़ना**	**समय– 15 मिनट** **12:30–12:45**
सत्र का उद्देश्य	• प्रतिभागियों को पाठ्यपुस्तकों में दिए गए पाठों में आपदा से संबंधित मुद्दों से परिचित कराना। • विभिन्न पाठ्यपुस्तकों / पाठों की सूची और आपदाओं /खतरों और जोखिमों के साथ यथासंभव संबंध जोड़ना। • उन्हें यह मालूम होगा कि आपदा की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानकारी मिलेगा।	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	• विभिन्न प्रकार के पाठ्यपुस्तकों / पाठों से जोड़ने की क्षमता विकसित होगी ताकि बच्चों में भावी चुनौतियों को झेलने की क्षमता विकसित हो सके। • प्रतिभागी कुछ आपदाओं/जोखिमों एवं खतरों वाली परिस्थितियों को पाठों के साथ जोड़कर कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में सीखेंगे। • प्रतिभागी पाठों का कक्षा में विनिमयन करने हेतु पूर्व तैयारी के साथ पर्याप्त क्षमता हासिल करेंगे।	
सत्र 1.5	• **फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा।** • **विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन और उसकी भूमिका के निर्धारण के संबंध में जानकारी।** • **हजार्ड हंट और इवेकुएशन मैपिंग –** • **विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण के संबंध में जानकारी।**	**समय– 60 मिनट** **12.45–01.45**
सत्र का उद्देश्य	• सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालयों के उन क्षेत्रों की पहचान करना जो असुरक्षित है। • घर से विद्यालय तक सुरक्षा के संभावित आपदाओं की पहचान करना। • विद्यालय का सुरक्षा मैप बनाना और उसके उच्च जोखिम क्षेत्र एवं निम्न जोखिम क्षेत्र को चिन्हित करना। • सुरक्षित निकास का विस्तृत प्लान बनाना • ग्रीष्म अवकाश के दिनों में बच्चों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की समझ विकसित करना। • विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना से संबंधित मॉडल प्रारूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। कर फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा। • इस कार्यक्रम के सभी हितभागियों की भूमिका एवं जिम्मेवारियों के बारे में जान पायेंगे। • विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में HVCR के महत्व को जान पायेंगे। आपदा के समय शिक्षा की निरंतरता को जान पायेंगे।	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	• प्रतिभागियों में विभिन्न तरह के जोखिमों / खतरों के पहचान तथा उसे आकलन करने की क्षमता विकसित होगी। • प्रतिभागियों को अपने आसपास के जोखिमों / खतरों के प्रति सचेत रहने की आदत	

	विकसित होगी। • प्रतिभागी में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति एवं योजना बनाने की समझ विकसित हो सकेगा। प्रतिभागी विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में HVCR के महत्व को जान पायेंगे।	
	• **भोजनावकाश** (समय 01:45–02.30)	
सत्र 1.6	• **प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के उपर संक्षिप्त चर्चा। आपदाओं के विषय –** **1. भूकंप** **2. बाढ़** **3. अगलगी** **4. चक्रवाती तूफान** **5. वज्रपात** **6. लू** **7. शीतलहर** **8. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन** **9. पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण** **10. सर्पदंश से बचाव** **11. डायरिया, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर** AES/JE **12. पानी में डूबने की घटना** **13. नाव दुर्घटना** **14. सड़क एवं रेल दुर्घटना** **15. भगदड़ एवं बिजली घात** **16. बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से** **17. छेड़छाड़ की घटना**	**समय– 30 मिनट 02:30–03.00**
सत्र 1.7	**मॉकड्रिल का फ्रेमवर्क–अभ्यास कैसे करवाया जाए ।**	**समय–30 मिनट 03:00–03.30**
सत्र का उद्देश्य	• प्रतिभागियों को विद्यालय में मॉकड्रिल के महत्व एवं प्रक्रिया को बताना। • मॉक ड्रिल के दौरान स्कूल की तैयारी कैसी हो और कौन इस ड्रिल को करायेंगे, इसकी जानकारी देना। • मॉक ड्रिल के दौरान किसे क्या करना है, यह स्पष्ट किया जाना।	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	प्रतिभागी अपने–अपने विद्यालयों में प्रैक्टिकल मॉक ड्रिल कराये जाने का वास्तविक अनुभव प्राप्त करेंगे.	
सत्र 1.8	**अगलगी एवं भूकंप तथा खोज एवं बचाव के संदर्भ में मॉकड्रिल ।**	**समय–60 मिनट 03:30–04.30**
सत्र का उद्देश्य	प्रतिभागियों को विद्यालय में मॉक ड्रिल का वास्तविक अभ्यास कराये जाने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	• प्रतिभागी मॉकड्रिल को अपनाकर खतरों का न्यूनीकरण कर सकेंगे। • प्रतिभागी विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों को अभ्यास करा सकेंगे।	
	प्रशिक्षण का समापन	**समय–05 मिनट 04:30–04.35**
• यह जानकारी प्राप्त करना कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने क्या लाभ उठाया है और भविष्य में प्रशिक्षण के दौरान वे और क्या जानना चाहते हैं जिसे और स्पष्ट किया जाना चाहिए था। • राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले अच्छे प्रयासों को साझा करना और इसके अनुसार कार्य योजना तैयार करना। • प्रशिक्षण से प्राप्त सीख को जिला, प्रखंड, संकुल एवं विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण में बताना। • प्रतिभागी खुद का आकलन कर यह जानेंगे कि वे विभिन्न आपदा वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण में जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर उनकी तैयारी कैसी है।		

1. **प्रथम सत्र का विषय**

- **बिहार में आपदा की स्थिति और बच्चों पर पड़ने वाला इसका प्रभाव– पृष्ठभूमि ।**
- **विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का औचित्य।**

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 01 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

2. **प्रथम सत्र का विषय**

- **मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य।**
- **विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के घटक–**

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 08–12 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

3. **दूसरे सत्र का विषय**

आपदा सम्बन्धी मुद्दे एव आपदा प्रबंधन – प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से जोखिम एवं खतरे तथा दूर करने के उपाय के बारे में जानकारी

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 13–17 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

4. **तीसरे सत्र का विषय**

समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकों में दिए गए पाठों को यथासंभव आपदा/जोखिम एवं संभावित खतरों से जोड़ना

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 18–23 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।
ध्यान देने योग्य बातें – संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) में बिहार टेक्सट की पुस्तिकाओं के पाठयक्रमों के चयनित पाठ है। निजी विद्यालयों में प्रचलित विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से आपदा एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों / पाठों का चयन कर आपदा/जोखिम एवं संभावित खतरों से जोड़ने की कला बताना होगा। समावेशी शिक्षा के बारे में साधनसेवी द्वारा निजी विद्यालयों के फोकल शिक्षकों को अलग से यह जानकारी देना होगा।

5. **चौथे सत्र का विषय**

विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी

विद्यालयों में "सुरक्षित शनिवार" (Safe Saturday) का क्रियान्वयन – बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (वर्ष 2015–2030) में इसकी चर्चा की गई हैं। सुरक्षित शनिवार का अर्थ यह है कि प्रत्येक शनिवार को पढ़ाई के अंतिम घंटे अथवा चेतना सत्र में बच्चे विविध गतिविधियों के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय सीखेगें। इसमें विद्यालयों में बच्चों के कौशल विकास एवं क्षमता वर्द्धन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। साथ–साथ विभिन्न आपदाओं से बचाव के तरीकों का प्रदर्शन एवं उससे संबंधित नियमित अभ्यास कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत् इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को खेल–खेल में कैसे एक सुरक्षित समाज और उससे भी बढ़कर सुरक्षित बिहार बनाने की ओर प्रेरित किया जा सके।

क. "सुरक्षित शनिवार" (Safe Saturday) की अवधारणा

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अबतक बच्चों की सुरक्षा के प्रति अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों को कुछ हद तक जागरूक करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल हुई है। परन्तु यह भी रेखांकित करने योग्य है कि यह कार्यक्रम Event Based कार्यक्रम के रूप में पिछले दो वर्षो से चलाया जा रहा है। Event Based कार्यक्रमों की एक सीमा होती है। Event घटित होने के पूर्व उसकी तैयारी की जाती है एवं Event घटित हो जाने के बाद अगले Event की प्रतीक्षा होने लगती है। जोखिम न्यूनीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि जोखिमों की पहचान, उनकी समझ एवं उनसे निपटने की रणनीति हमारे दैनन्दिन व्यवहार का हिस्सा बन जाये। इसके लिए जोखिम न्यूनीकरण के कार्यक्रम को Event based की सीमा से बाहर निकालकर निरंतरता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसी संदर्भ में बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में "सुरक्षित शनिवार" (Safe Saturday) की अवधारणा विकसित की गई।

ख. "सुरक्षित शनिवार" (Safe Saturday) की रूप रेखा

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में शिक्षा विभाग को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" को निरंतरता प्रदान करते हुए उसे वर्ष में मात्र एक बार आयोजित करने की अपेक्षा इसे विस्तारित कर प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में आयोजित करें। इस कार्य में शिक्षा विभाग को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" की निरंतरता एवं विस्तार से बच्चों में जोखिमों की पहचान, उनकी समझ एवं उनसे निपटने की क्षमता का विकास होगा तथा उनके व्यवहार में दीर्घकालीन परिवर्तन आएगा। बच्चों का विद्यालय में ही सुरक्षित रहना पर्याप्त नहीं है, अपितु उन्हें **"घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक" (Home to School and School to Home)** सुरक्षित रखने की कोशिश करनी होगी। रोडमैप में "सुरक्षित बिहार" की संकल्पना की गई है। सुरक्षित बिहार के निर्माण की शर्त है कि बिहार के हर नागरिक में आपदाओं के जोखिम की पहचान, उनकी समझ एवं निपटने की क्षमता का विकास हो सके। बच्चे भविष्य के नागरिक होते हैं। अतएव यदि बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता स्कूली जीवन में विकसित होती है, तो वे बचपन से लेकर वृद्वावस्था पर्यन्त आपदाओं से सुरक्षित बने रह सकते हैं जिससे हमें सुरक्षित बिहार के निर्माण में सहायता मिलेगी। साथ ही बच्चे स्कूल में सीखे कौशल अपने घर–परिवार के साथ भी बाँट सकते हैं। ऐसा होने से उनके घर–परिवार के सदस्यों में भी आपदाओं से निपटने की समझ विकसित हो सकती है।

ग. "सुरक्षित शनिवार" (Safe Saturday) के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर निम्न कार्य किये जाएँगें–

1. विद्यालय में किसी एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जाएगा।
2. विद्यालय में बच्चों के संगठन जैसे मीना मंच, बाल संसद आदि की सक्रिय भागीदारी से विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बनाया जाएगा।
3. विद्यालय में बच्चों को जोखिमों को पहचानने (हजार्ड हंट) का कौशल विकसित कराया जाएगा।
4. जोखिमों की पहचान (हजार्ड हंट) करने के उपरांत विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करायी जाएगी।
5. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना के संबंध में चर्चा एवं चिन्हित खतरे तथा जोखिमों के कुप्रभाव को कम करने के उपायों की चर्चा विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में की जाएगी।
6. विद्यालय के बच्चों के शिक्षकों अभिभावकों, एवं विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण किया जाएगा।
7. विद्यालय के प्रत्येक वर्ग से बाल प्रेरक का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।

8. बाल प्रेरकों द्वारा **सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी** के अनुसार फोकल शिक्षक की सहायता से निर्धारित गतिविधियाँ प्रत्येक शनिवार को क्रियान्वित की जाएंगी।
9. बच्चों को दिये गये ज्ञान एवं कौशल का निरंतर अभ्यास कराया जाएगा।

6. पॉचवें सत्र का विषय

- **फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा।**
- **विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन और उसकी भूमिका के निर्धारण के संबंध में जानकारी।**
- **हजार्ड हंट और इवेकुएशन मैपिंग –**
- **विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण के संबंध में जानकारी।**

उपरोक्त के संबंध में निजी विद्यालयों में फोकल शिक्षकों, बाल प्रेरकों की चयन एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति गठन की प्रक्रिया सरकारी विद्यालयों से भिन्न है। जो निम्नरूपेण होगा–

फोकल शिक्षकों की चयन प्रक्रिया

निजी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की देखरेख एवं संरक्षण में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में नामित कर उन्हें प्रशिक्षित करायेंगे। फोकल शिक्षक के कार्य दायित्व निम्नरूपेण होगें–

- विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन और प्रशिक्षण करवाना।
- हजार्ड हंट तथा मैपिंग करवाना।
- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करवाना।
- बाल प्रेरकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करवाना।
- बाल प्रेरकों द्वारा **सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी** के अनुसार निर्धारित गतिविधियॉ प्रत्येक शनिवार को क्रियान्वित करवाना।
- बच्चों को दिये गये ज्ञान एवं कौशल का नियमित अभ्यास करवाना।

- बाल प्रेरकों के रूप में वैसे बच्चे का चयन किया जाए जिनका संवाद सम्प्रेषण अच्छा हो। बाल प्रेरकों का चयन बच्चों द्वारा ही किया जाएगा।
- बाल प्रेरक के रूप में कक्षा 5 तक के विद्यालयों में केवल चौथी एवं पॉचवीं कक्षा के 4–5 बच्चे को बाल प्रेरक के रूप में चयन किया जाये ताकि पॉचवीं कक्षा के चयनित बाल प्रेरेक दूसरे विद्यालय के छठी वर्ग में चले जाने की स्थिति में चौथी वर्ग के बच्चे अगर शुरूआत से ही बाल प्रेरक के रूप में तैयार रहेगें तो एकाएक कक्षा बदलने से कार्य बाधित नहीं हो सकेगा।
- इसी प्रकार क्ऱक्षा 8 या 10 तक के विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 के 3–3 बच्चे को बाल प्रेरक के रूप चयन किया जाय।
- बाल प्रेरक में उक्त कक्षा का मॉनिटर या अन्य कोई बच्चे हो सकते हैं जिनका संवाद सम्प्रेषण अच्छा हो।

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का कार्य विद्यालय के अंदर एवं बाहर तथा विद्यालय के पोषक क्षेत्र में चिन्हित सभी जोखिमों के कुप्रभावों का शमन करते हुए अपने विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों हेतु विद्यालय को एक सुरक्षित स्थान के रूप में बनाये रखना है। अतः इस कार्य को मूर्त्तरूप देने के संदर्भ में विद्यालय समुदाय, बाल–संसद एवं मीना मंच के सदस्यों एवं विद्यालय शिक्षा समिति सदस्यों को मिलाकर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। गठन की प्रक्रिया निम्नरूपेण होगी–

- विद्यालय समुदाय; जिसमें विद्यालय के बच्चे, शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति या पेरेन्ट्स टीचर एसोसिएशन के 4–5 मनोनीत सदस्य शामिल होगें, के साथ बैठक कर कार्यक्रम के उद्देश्य, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना एवं रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा करायी जाए।
- समिति में सभी बाल प्रेरक भी शामिल होंगे।
- विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का आकार अधिकतम 12–13 सदस्यों का होगा।
- प्राचार्य द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों को उनके कार्यदायित्व के बारे में बताया जाए तथा माह में एकबार बैठक करने की तिथि भी निर्धारित कर लिया जाए। समिति के बैठक हेतु एजेण्डा भी बनाये जा सकते है, जैसे– बैठक की तिथि के पूर्व किये गये कार्यो की समीक्षा, योजना के अनुसार संपादित गतिविधियॉ एवं लंबित कार्यो को अलग–अलग सूचीबद्ध करना, अगले माह की कार्ययोजना पर चर्चा एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जिम्मेवारी तय करना तथा इसके अनुश्रवण एवं निगरानी के तरीके पर चर्चा इत्यादि।

सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु निम्नलिखित बातें ध्यान योग्य है–

- शनिवार के एक दिन पूर्व बाल प्रेरकों को फोकल शिक्षक वार्षिक सारणी में निर्धारित विषयों के संबंध में तैयारी करायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे की बाल प्रेरक अलग–अलग कक्षाओं में जाकर विषय–वस्तु के बारे में जानकारी देने में सक्षम हो सकें।
- पूर्व तैयारी के क्रम में बाल प्रेरकों द्वारा मॉकड्रील (डेमोस्ट्रेशन) या अभ्यास कर यह साबित करेंगे कि जो जानकारी विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को दिया जाएगा, वह सही होगा और उनके लिए लाभकारी एवं रोचक होगा।
- पूर्व तैयारी के क्रम बाल प्रेरकों द्वारा फोकल शिक्षक की मदद से नोट बनाया जाए ताकि आवश्यकतानुसार उसका उपयोग कर बच्चों को बेहतर ढंग से जानकारी दिया जा सके।
- शनिवार के दिन कौन–कौन से बाल प्रेरक किस कक्षा में जाएँगे उसका भी निर्धारण फोकल शिक्षक द्वारा किया जाएगा।
- शनिवार को चेतना सत्र एवं उस दिन के अंतिम घंटी में पूर्व तैयारी के अनुसार दो–दो बाल प्रेरक सभी कक्षाओं एवं सेक्शनों में जाकर संबंधित विषयों के बारे में जानकारी देगें, अगर इसके साथ मॉकड्रील एवं अभ्यास प्रस्तावित है तो उसे भी कराना सुनिश्चित करायेंगे।
- बाल प्रेरक जब विभिन्न कक्षाओं में बच्चों को बता रहें हो तब फोकल शिक्षक सभी कक्षाओं में धूम–धूमकर देखेंगे और बाल प्रेरकों को उत्साहित कर उसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने हेतु सुझाव भी देगें।

अगर किसी बाल प्रेरक को अन्य बच्चों को जानकारी देने में समस्या उत्पन्न हो रही हो तो फोकल शिक्षक उसका आकलन कर यथोचित निदान के तरीके भी बतायेंगे। सभी बाल प्रेरकों से इन समस्याओं पर चर्चा अगले शनिवार के पूर्व तैयारी के क्रम में करेंगे।

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम
बिहार सरकार

निर्देश

1. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विद्यालय के बच्चों में जोखिमों की पहचान एवं उससे बचाव करने की क्षमता, ज्ञान तथा आत्मविश्वास विकसित किया जाए ताकि वे किसी प्रकार के आपदा प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो सकें।
2. बाल प्रेरकों द्वारा अन्य सभी बच्चों को एक साथ ज्ञान एवं कौशल स्थानांतरित करने का तरीका अन्य शिक्षण पद्धति से ज्यादा उपयुक्त होता है। अतः बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
3. प्रत्येक विद्यालय के फोकल शिक्षक सभी बाल प्रेरकों के साथ शनिवार के एक दिन पूर्व वार्षिक–सारणी में निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप योजना तैयार करेंगे।
4. सुरक्षित शनिवार की गतिविधियाँ प्रत्येक शनिवार के चेतना सत्र तथा अंतिम सत्र में अनिवार्य रूप से आयोजित करेंगे।
5. जिस माह पाँचवा शनिवार पड़े, उस स्थिति में बच्चों को स्वच्छता संबंधी विषयों के बारे में जानकारी दिया जाए एवं अभ्यास करायें।
6. जुलाई के प्रथम पखवारे (1–15 जुलाई) में विद्यालय सुरक्षा पखवारा तथा 4 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस प्रत्येक विद्यालय में आयेजित होगा। विद्यालय सुरक्षा पखवारे में क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने वाली सभी आपदाओं (सुखाड़ सहित) पर आधारित कार्यक्रम किये जायेंगे।
7. स्थानीय विशेष कारणों से सप्ताह में वर्णित गतिविधियों को आगे–पीछे किया जा सकता है।
8. विद्यालय में लंबी छुट्टी होने की स्थिति में बच्चों को गृहकार्य के रूप में विद्यालय सुरक्षा से संबंधित विषयों का अभ्यास एवं उसपर चर्चा करने संबंधी कार्य दिये जाएं ।

unicef | for every child

- हजार्ड हंट और इवेकुएशन मैपिंग –

विद्यालय के अंतर्गत तथा उससे आसपास के क्षेत्रों में जोखिमों की पहचान करने की प्रक्रिया – हर्जाड हंट

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, शिक्षक एवं अन्य बच्चे मिलकर "हजार्ड हंट" प्रक्रिया के द्वारा विद्यालय परिसर के अंदर एवं विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों के साथ–साथ घर से विद्यालय एवं विद्यालय से पुनः घर लौटने के क्रम में उन सभी जोखिमों व खतरों की पहचान करें जिससे हम सभी को किसी न किसी प्रकार के नुकसान एवं क्षति होने की संभावना है।

- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में हंट या जोखिम का आकलन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अतएव इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ करने की आवश्यकता है। "हजार्ड हंट" करने की प्रक्रिया निम्नरूपेण है–
    - विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, शिक्षक एवं बच्चों को प्रधानाध्यापक एक जगह एकत्रित करेगें।
    - वे उन्हें "हजार्ड हंट" / जोखिम आकलन के महत्व के साथ–साथ यह भी बतायें कि इस प्रक्रिया के द्वारा वे उन सभी प्रकार के जोखिमों की पहचान करें, जिससे हम सभी को किसी न किसी प्रकार के खतरे या नुकसान होने की संभावना है, चाहे वह नुकसान तुरंत हो या भविष्य में घटित हो।
    - उन्हें यह भी बताये कि वे उन सभी खतरों की पहचान करें, जिससे शारीरिक कष्ट एवं स्वास्थ्य संबंधी बिमारियॅा उत्पन्न हो सकती है या फिर वो खतरे जिससे कभी–कभी जान भी जा सकती है। "हजार्ड हंट" के दौरान संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक खतरों की भी पहचान करें।
    - अब "हजार्ड हंट" प्रक्रिया में शामिल होनेवाले बच्चों का 4–6 समूह बनायें (समूह बनाते समय यह ध्यान रखें कि किसी समूह में 10 से ज्यादा बच्चे न हो, भले ही इसके लिए समूहों की संख्या बढ़ानी क्यों न पड़े)।
    - सभी बच्चे अपने–अपने समूह में विद्यालय के अंदर एवं बाहर भ्रमण कर उन सभी खतरों को नोट करते जायें जिनसे किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना हो या वो सभी वस्तुऍ या चीजें जो नुकसानदेह हों या जिनसे डर लगता हो और जिनको सामूहिक प्रयास से ठीक किया जा सकता हो।
    - "हजार्ड हंट" प्रक्रिया के लिए बच्चों को आवश्यकतानुसार 30 से 45 मिनट का समय दें और समूहों को खतरे की पहचान करने लिए भेजा जाये। प्रत्येक समूहों के द्वारा किये जाने वाले कार्य पर दूर से नजर रखें, इससे बच्चों की भावनाओं और उनके कार्य करने की गंभीरता को समझने में आसानी होगी जो विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण करने के समय काफी उपयोगी साबित होगी।
- अब प्रत्येक समूह को पहचान किये गये जोखिमों एवं खतरों का प्रस्तुतीकरण करने को कहा जाये और उपस्थित सभी के साथ चर्चा करके चिन्हित जोखिमों व खतरों को अलग–अलग सेक्टर के हिसाब से सूचीबद्ध करायें। हजार्ड हंट के लिए चेकलिस्ट निम्न प्रकार है–

सेक्टर	स्थान/जोखिम युक्त अंश का नाम	जोखिमों की संभावना/तीव्रता		
		उच्च	मध्यम	कम
पेयजल एवं परिसर स्वच्छता संबंधी जोखिम				
स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी जोखिम				
जीवन रक्षा कौशल के अभाव संबंधी जोखिम				
भवन की संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक एवं उसके मजबूती संबंधी जोखिम				

विद्यालय परिसर संबंधी जोखिम				
घर से विद्यालय आने के मार्ग में पड़ने वाले जोखिम				
अन्यान्य				

7.3.1 इवैकुवेशन मैपिंग

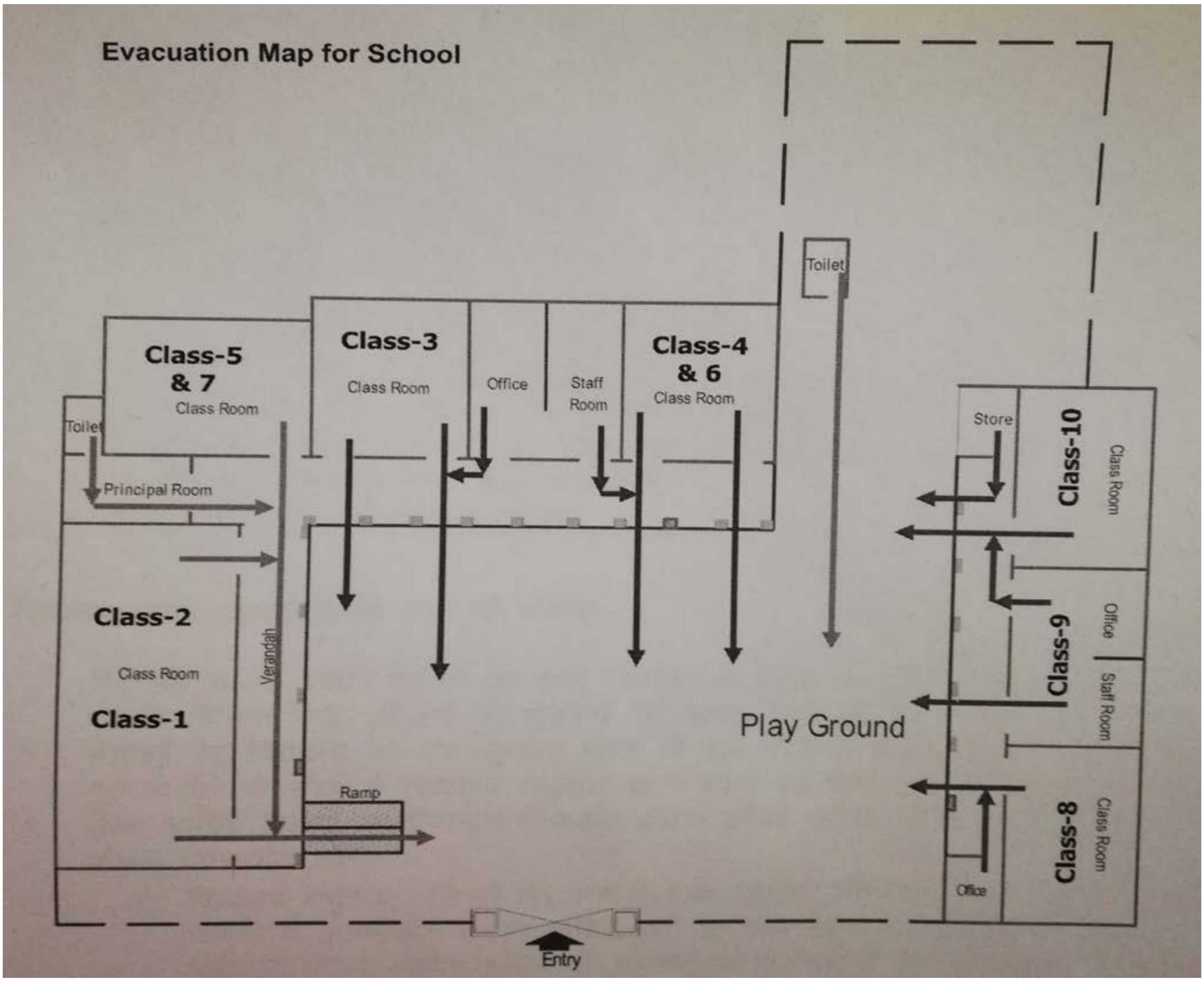

- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण के संबंध में जानकारी।

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का मॉडल प्रपत्र संलग्न है–

7. **छठें सत्र का विषय**

प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के उपर संक्षिप्त चर्चा। आपदाओं के विषय –

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 47–90 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

8. **सतवें एवं आठवें सत्र का विषय**

- **मॉकड्रिल का फ्रेमवर्क–अभ्यास कैसे करवाया जाए ।**
- **अगलगी एवं भूकंप तथा खोज एवं बचाव के संदर्भ में मॉकड्रिल ।**

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 119–131 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

निजी विद्यालयों हेतु मॉडल प्रपत्र

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना

विद्यालय का नाम ....

पंचायत ....

प्रखण्ड ....

जिला ....

योजना निर्माण की तिथि ....

विद्यालय के फोकल शिक्षक का हस्ताक्षर	प्रधानाचार्य का का हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत "सुरक्षित शनिवार" कार्यक्रम की पृष्ठभूमि :–

लगभग 01 पेज में लिखें {शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 11–12 पर अंकित है}

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाने का तरीका :–

लगभग आधा पेज में लिखें {शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 45–46 पर अंकित है}

विद्यालय में उपलब्ध संसाधन संबंधित आँकडें :–

1) छात्र–छात्राओं की विवरणः

कक्षा	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या	कुल संख्या

2) शिक्षक व अन्य कर्मीगण की विवरण :

महिला शिक्षक संख्या	पुरूष शिक्षक संख्या	अन्य कर्मा सं0	कुल संख्या

3) विद्यालय में भवनों सं संबंधित विवरण :

कुल भवन संख्या	कुल कमरों की सं0	वर्ग संचालन हेतु प्रयुक्त कमरों की सं0	कार्यालय के लिए प्रयुक्त कमरों की सं0	भंडार के लिए प्रयुक्त कमरों की सं0	रसोई के लिए प्रयुक्त कमरों की सं0	पुस्तकालय के लिए प्रयुक्त कमरों की सं0

4) पेयजल की व्यवस्थाः

कुल नलों की सं0	कुल चापाकलों की सं0	कार्यरत चापाकलों की सं0	प्लेटफार्म व निकास नाली युक्त नलों एवं चापाकलों की सं0	आपदा के दौरान सुरक्षित रहने वाले नलों एवं चापाकलों की सं0

5) शौचालय की व्यवस्थाः

विद्यालय में कुल शौचालयों की सं0	लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सं0	बाढ़ से सुरक्षित शौचालयों की सं0	बच्चों के लिए चालू हालत में प्रयुक्त होने वाले शौचालयों की सं0

अध्याय– 4: विभिन्न आपदाओं से संबंधित विद्यालय स्तर पर तैयारियों के आकलन हेतु चेकलिस्ट :–

क्र0सं0	आपदा से सुरक्षा के मानक	हॉ/नहीं	अभ्युक्ति
1	क्या विद्यालय के सभी भवन भूकम्परोधी तकनीक से बना है ?		
2	क्या विद्यालय में आलमीरा, रैक, टांगे हुए भारयुक्त फोटो, दिवालघड़ी आदि को दिवाल से हुक लगाकर कस दिया गया है या नहीं ?		
3	क्या विद्यालय के भीतर एवं बाहर भूकम्प एवं बाढ़ में सुरक्षित स्थान एवं निकलने के रास्तों को चिन्हित किया गया है ?		
4	क्या विद्यालय के सभी छात्रों व शिक्षकों को भूकम्प के दौरान "क्या करें" और "क्या ना करें" की जानकारी है ?		
5	क्या आपके विद्यालय के छात्र–छात्राऍ भूकम्प, आग, बाढ़ इत्यादि जैसे आपदाओं से बचाव संबंधी मॉकड्रिल करते हैं ?		
6	क्या विद्यालय में बिजली की वायरिंग सुरक्षित है। तारों के जोड़ पर टेप लगा है या नहीं। प्लग में स्पार्क या फॉल्ट को तुरंत ठीक कराया जाता है या नहीं ?		
7	अग्निशामक यंत्र सही जगह पर टंगा है या नहीं। सभी छात्र–छात्राऍ इसके उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किये गये हैं या नहीं ?		
8	क्या विद्यालय मे सभी छात्र शौचालय का उपयोग करते है?		
9	क्या विद्यालय के सभी छात्र भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोते है?		
10	क्या विद्यालय में शौचालय, पेयजल श्रोत के आसपास एवं परिसर की दैनिक सफाई होती है ?		
11	क्या विद्यालय का शौचालय बाढ़ के जलस्तर से ऊँचे स्थान पर अवस्थित है या नहीं ?		
12	क्या विद्यालय का पेयजल श्रोत बाढ़ के जलस्तर से ऊँचे स्थान पर अवस्थित है या नहीं ?		

13	क्या विद्यालय भवन के कमरे बाढ़ के जलस्तर से ऊँचे स्थान पर अवस्थित है या नहीं ?		
14	क्या विद्यालय के भवनों में निशक्तः बच्चों के लिए रैम्प बनाया गया है ?		
15	क्या विद्यालय परिसर को चारदिवारी कके साथ–साथ गेट लगाकर सुरक्षित किया गया है ?		
16	बाढ़ की स्थिति में "क्या करें" और "क्या ना करें" की जानकारी सभी छात्रों को है या नहीं ?		
17	क्या विद्यालय के पुस्तकालय में आपदा से संबंधित शिक्षण सामग्री है ?		
18	क्या विद्यालय में बचाव किट जैसे– रस्सी, टार्च, डंडा, सीढी आदि उपलब्ध है ?		
19	क्या विद्यालय के बच्चे सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक है ?		
20	क्या विद्यालय में प्राथमिक उपचार सामग्री की उपलब्धता है या नहीं एवं बच्चे को इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं ?		
21	क्या विद्यालय के छात्रों को आपातकालीन दूरभाष जैसे पुलिस, फायर ब्रिग्रेड, आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष आदि की जानकारी है या नहीं ?		
22	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में वर्ग कक्ष पर्याप्त संख्या में है या नहीं ?		
23	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में पेयजल श्रोत पर्याप्त संख्या में है या नहीं ?		
24	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में शौचालय पर्याप्त संख्या में है या नहीं ?		

विद्यालय में हजार्ड हंट के उपरांत चिन्हित समस्याऐं एवं मुद्दें तथा उसकी प्राथमिकताऐं :–

विद्यालय में जोखिमों/खतरों के संभावित सेक्टर	स्थान/जोखिम युक्त अंश का नाम	जोखिमों की संभावना/तीव्रता के आधार पर प्राथमिकताऐं		
		उच्च	मध्यम	कम
पेयजल एवं परिसर स्वच्छता संबंधी जोखिम				
स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी जोखिम				

जीवन रक्षा कौशल के अभाव संबंधी जोखिम				
भवन की संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक एवं उसके मजबूती संबंधी जोखिम				
विद्यालय परिसर संबंधी जोखिम				
घर से विद्यालय आने के मार्ग में पड़ने वाले जोखिम				
अन्यान्य				

चिन्हित समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय का समेकित कार्य योजना :–

क्रम सं0	चिन्हित मुद्दा/समस्या	वर्तमान में चिन्हित समस्याओं स्थिति	समाधान के विकल्प	योजना के क्रियान्वयन हेतु गतिविधियाँ	जिम्मेवारी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7

विद्यालय का इवैक्युवेशन मैपिंग / बचाव मार्ग का चित्रण :–

लगभग 01 पेज में बनायें {शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 44 पर अंकित है}

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों की सूची :–

क्र0 सं0	समिति सदस्यों का नाम	वर्ग /शिक्षक /अभिभावक/अन्य	समिति में पदनाम

विद्यालय प्रबंधन समिति / पेरेन्ट्स टीचर एसोसिएशन के सदस्यों की सूची :–

क्र0 सं0	विद्यालय प्रबंधन समिति / पेरेन्ट्स टीचर एसोसिएशन सदस्यों का नाम	समिति सदस्यों का पता	पदनाम

महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर :–

क्र0 सं0	महत्वपूर्ण व्यक्तियों **का नाम**	दूरभाष नम्बर / मोबाईल न0